

दिनेश कुमार आ० स्व० गेन्दालाल तिवारी, .....आवेदक।  
42-पारस मैजिस्टिक, त्रिलंगा, भोपाल (म०प्र०)

विरुद्ध

- (1) महेश कुमार आ० स्व० गेन्दालाल तिवारी,  
90-पारस मैजिस्टिक, त्रिलंगा, भोपाल (म०प्र०)
- (2) ललित किशोर आ० स्व० गेन्दालाल तिवारी,  
हरिशंकर अग्रवाल का मकान, कोरी घाट रोड,  
शनीचरा मोहल्ला, होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) श्रीमती कीर्ति शर्मा पत्नि स्व० दुर्गा प्रसाद शर्मा,  
(पुत्री स्व० गेन्दालाल तिवारी)  
द्वारा भूपेन्द्र शर्मा आ० स्व० दुर्गा प्रसाद शर्मा  
50-प्रथम रेसीडेन्सी, अयप्पा स्कूल के पास,  
बिलहरी, जबलपुर (म०प्र०)
- विजय कुमार आ० स्व० गेन्दालाल तिवारी,  
द्वारा श्री बी०एन० दास, प्लाट न० बी-73,  
धन्वन्तरी नगर, सेवा ग्राम रोड, बर्धा (महा. छ.)
- श्रीमती सुशीला पाण्डेय पत्नि स्व० रुद्र प्रशांश पाण्डेय,  
(पुत्री स्व० गेन्दालाल तिवारी)  
आर्य समाज मन्दिर के सामने, गंज, सीहोर (म०प्र०)
- सुनील कुमार आ० स्व० गेन्दालाल तिवारी,  
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवम् व्यापार केन्द्र,  
विदिशा (म०प्र०)
- (7) श्रीमती रक्षा नायक पत्नि स्व० शैलेन्द्र नायक,  
(पुत्री स्व० गेन्दालाल तिवारी)  
द्वारा श्रीमती पूर्वा नायक शर्मा पुत्री स्व० शैलेन्द्र नायक, द०-२,  
वानिकी कॉलोनी, द्वारिका पुरी कॉलोनी के पास,

भोपाल कृष्ण म.  
आवेद० दूरा - 26/9/17  
अ) प्रस्तुत (२५) जय।

N. R. 31/X/17

26/9/17  
(D. K. P. WADDE)

कलेक्टर, होशंगाबाद कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म०प्र०) .....अनावेदकगण।

म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदनपत्र

आवेदक दिनेश कुमार तिवारी की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

- 1 यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक एवम् अनावेदकगण के पिता स्व०गेन्दालाल तिवारी 03 भाई थे (1) मूलचन्द तिवारी (2) जुगलकिशोर तिवारी एवम् (3) गेन्दालाल तिवारी। वर्ष 1949-50 तीर्थि रियति में इन तीनों के नाम से ग्राम-चांदला एवम् ग्राम-गोरा, तहसील-बाबई, जिला-होशंगाबाद रो० कुल ०८ एकड़ा, क्षेत्रफल ७०.२५ एकड़ कृषि स्थित थी। वर्ष 1952 में मूलचन्द तिवारी की तथा वर्ष 1954-55 में जुगलकिशोर तिवारी की मृत्यु हो गई। फलतः मूलचन्द तिवारी के स्थान पर उनके 07 पुत्रों (1) नन्हे लाल, (2) द्वारका रसाद, (3) भागीरथ प्रसाद, (4) रामेश्वर प्रसाद, (5) भगवती प्रसाद उर्फ

Chap.  
25/9/17  
*[Signature]*

(P)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3848

| रथान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों<br>आदि के हस्ताक्षर |
|-----------------|---|---|
| 30-1-2018       | <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। आवेदक की ओर से श्री डी.के. तिवारी, अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किये जायें।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल)<br/>अध्यक्ष</p> |   |